कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद– महराजगंज

पत्रांक /न0पं0नि0/नीलामी/2019–20 दिनांक– 14.01.2020

व्यवसायिक योजना के लिए दुकानो के आवंटन हेतु बोली/नीलामी की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत निचलौल जनपद– महराजगंज सीमान्तर्गत संगठित विकास योजनान्तर्गत वार्ड नं0–07, कोर्ट मुहल्ला में निर्मित व्यवसायिक प्रतिष्ठान के दुकानों की आवंटन हेतु बोली/नीलामी दिनांक 20.01.2020 को समय 11.00 बजे नगर पंचायत निचलौल कार्यालय पर किया जायेगा। नियमो /शर्तो की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त की जा सकती है।

दुकान आवंटन हेतु व्यक्तियों को निम्न शर्तो का पालन करना होगाः–

1. दुकान आवंटन हेतु मु0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये अग्रिम जमानत के रूप में जमा करना होगा। जिसमें बोलीदाता को बोली बोलने से पूर्व मु0 40,000.00 (चालीस हजार) तथा बोली स्वीकृति के पश्चात 60,000.00 (साठ हजार) एक सप्ताह के अन्दर नगद/चेक द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. दुकानों के किराये की बोली प्रति दुकान प्रति माह मु0 800.00 (आठ सौ) मात्र से कम नही होना चाहिए ।
3. दुकान जिसके नाम से आवंटित होगी वे प्रत्येक माह की 7 तारीख तक किराया जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक किराया न जमा करने के पश्चात् 2%– प्रति माह की दर से अर्थ दण्ड देना होगा।
4. दुकानों का रख रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
5. नगर पंचायत निचलौल की अनुमति प्राप्त किये विना दुकान में किसी भी प्रकार के किरायेदार को रखने या किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार आवंटी को नही होगा।
6. दुकान में किसी भी प्रकार का परिर्वतन या परिवर्धन नगर पंचायत की स्वीकृति के विना नही किया जायेगा।
7. दुकान में विधुत फिटिंग व कनेक्शन आवंटी को स्वंय करना होगा एंव सम्बन्धित विद्युत विल का भुगतान आवंटी को करना होगा।
8. नगर पंचायत को स्वंय आवश्यकता पडने पर दुकान को किसी भी समय एक माह का समय देने के पश्चात् नोटिस पर खाली करायी जा सकती है।
9. दुकान को मादक पदार्थो के विकय तथा किसी भी प्रकार के गोस्त, मछली आदि के व्यापार हेतु प्रयोग नही करना होगा।
10. जिस व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित होगी वह व्यक्ति दुकान बिकी नही कर सकता है न तो किराये पर दे सकता है और न ही दुकान बन्धक रख सकता है न ही किसी अन्य को आदान प्रदान करना होगा।
11. नगर पंचायत निचलौल द्वारा प्रति दुकान 3 वर्ष में 05% की वृद्वि करेगा।
12. दुकान खोलने व बन्द करने से सम्बन्धित समय सीमा व साप्ताहिक बन्दी से सम्बन्धित नगर पंचायत के निर्देशो का पालन सभी दुकानदार को करना होगा।
13. किसी प्रकार के देवी या प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगने,बाढ के कारण या दंगा–फसाद, अनहोनी के कारण दुकानदारो की क्षति की दशा में नगर पंचायत किसी प्रकार उत्तरदायी नही होगी।
14. दुकान 99 वर्ष के पट्टे पर दिये जायेगें। जिसका रजिस्ट्री निबंधन विभाग से कराना होगा । न कराने की दशा में पट्टा निरस्त समझा जायेगा ।
15. दुकान की बोली धनराशि 600.00 से प्रारम्भ होगी । जो धनराशि 800.00 से कम न हो।
16. दुकान आवंटन आदि में विवाद उत्पन्न होने पर अधिशासी अधिकारी/मा0 अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा ।
17. दुकान आवंटन के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नियम को संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा इसकी सूचना बोली/नीलामी के पूर्व तक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा सकता है।
18. वर्तमान समय में दुकान जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में बोली/नीलामी करायी जायेगी ।
19. आवांटी को दुकान आवांटन के पश्चात उसका मरम्मत आदि कार्य बिना अद्योहस्ताक्षरी के अनुमति से नही कराना होगा ।

20. उपरोक्त किसी शर्तो का उलंघन करने पर दुकान का आवंटन किसी भी समय अधिशासी अधिकारी / मा0 अध्यक्ष द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।.

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

पत्रांक 779(4)/न0पं0नि0 / 2019–20 / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद–महराजगंज।
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय– महराजगंज।
3. उपजिलाधिकारी, निचलौल–महराजगंज।
4. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेवसाइड **www. Maharajganaj nic.in**पर डालने की कृपा करें।
5.. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज